

उत्तर प्रदेश सरकार
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1,

संख्या- 19/2016/789(1)/64-1-2016-2/2005

लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन) अधिनियम, 2002(उ०प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-789/64-1-2016-2/2005, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 5-राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र०।
- 6-प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।
- 7-निबन्धक, उ०प्र० सहकारी समितियां, लखनऊ।
- 8-समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9-समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 10-निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
- 11-निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 12-समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया, उ०प्र०।
- 13-निबंधक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।
- 14-निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।
- 15-सचिव विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 16-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 17-सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 18-निदेशक, उ०प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
- 19-समस्त निजी सचिव, मा०मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 20-प्रमुख सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 21-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संलग्नक-यथोपरि

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)

विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1
संख्या- 789/64-1-2016-2/2005
लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में क्रम संख्या-1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

अनुसूची-एक में वर्तमान उल्लेख	अनुसूची-एक में आयोग द्वारा संस्तुति संशोधित उल्लेख
क्रम संख्या-1-अहीर, यादव, गवाला, यदुवंशीय	क्रम संख्या-1-अहीर, यादव, गवाला, यदुवंशीय, भुर्तिया

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**Government of Uttar Pradesh,
Backward Class Welfare, Section-1**

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 789(1)/64-1-2016-2/2005, dated 26 December, 2016

Notification

No-. 789(1)/64-1-2016-2/2005
dated- 26 December, 2016

In exercise of powers under section-13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule 1 to the said Act:-

Amendment

In the said Schedule-1 for serial no.1, the following serial shall be substituted, namely "1- **Aheer, Yadav, Gwala, Yaduvanshiy, Bhurtiya.**"

By order,

(Mahesh Kumar Gupta)
Principle Secretary

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।